

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की कड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32%, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का 14%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद (Produce) का लगभग 10% है, फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम 2% और दूध के लिए अधिकतम 35% है। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण तृतीय स्तर (Tertiary level) का 6% है, इसे 20 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य है।

2. खाद्य प्रसंस्करण क्यों:

- i) कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन।
- ii) किसान की आय बढ़ाने के लिए।
- iii) उत्पाद के नुकसान में कमी करने के लिए।
- iv) रोजगार में वृद्धि करना।
- v) वर्ष भर उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- vi) निर्यात की संभावनाएं बढ़ाना।
- vii) खान–पान और रहन–सहन के बदलाव से उत्पन्न मांग को पूरा करना।

3. खाद्य प्रसंस्करण द्वारा कृषि उत्पाद को ऐसे प्रोडक्ट में परिवर्तित करना, जो खाद्य (Consumable) हो अथवा एक कृषि उत्पाद में वैल्यू एडीशन (Value Addition) करते हुए इसे किसी अन्य खाद्य उत्पाद में परिवर्तित करना खाद्य प्रसंस्करण होता है। खाद्य प्रसंस्करण में अन्तिम उत्पाद के भौतिक गुणों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है :-

- (i) विनिर्मित प्रक्रियाएं (मैन्युफेक्चरिंग प्रोसेस) – इस प्रक्रिया में उत्पाद का भौतिक गुण परिवर्तित किया जाता है और इसमें मजदूर, ऊर्जा, मशीन एवं धनराशि का प्रयोग करते हुए उत्पाद को ऐसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, जिसकी कामर्शियल वैल्यू हो।
- (ii) अन्य मूल्य सम्बन्धन प्रक्रियाएं – इस प्रक्रिया में उत्पाद किसी विनिर्माण की प्रक्रिया से नहीं गुजरता है, परन्तु इसमें काफी मूल्य सम्बन्धन होता है, क्योंकि उत्पाद के सेल्फ लाईफ (Shelf Life) में बढ़ोत्तरी होती है और खाने के लिए तैयार अवस्था में इसे लाया जाता है।

4. प्रसंस्करण के स्तर के अनुसार प्रसंस्करण की प्रक्रिया को प्राईमरी, सेकेण्ड्री तथा टरसियरी प्रोसेसिंग में बांटा जाता है :-

- (A) प्राईमरी प्रसंस्करण – इसमें रॉ कृषि उत्पाद का जो खाने योग्य बनाना है, उसे सुखाना, थ्रेसिंग करना, ग्रेडिंग करना, सॉर्टिंग करना व पैकेजिंग करना।
- (B) सेकेण्ड्री प्रसंस्करण – इसमें उत्पाद में मूल्य सम्बन्धन करते हुए नए उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे-आटा, वाइन, सॉसेज।
- (C) टरसियरी प्रसंस्करण – इसमें बड़े स्तर पर रेडी टू ईट फूड आईटम का कामर्शियल प्रोडक्ट किया जाता है।

5. जब हम अपने राज्य या देश में प्रसंस्करण के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं, तो यह केवल तृतीय (Tertiary level) स्तर का प्रसंस्करण है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का 6 प्रतिशत है, और देश स्तर पर 10% है। यह प्रतिशत निम्न होने का मुख्य कारण घरेलू स्तर पर प्रसंस्करण खाद्य के स्थान पर ताजा उत्पाद को वरीयता, शहरीकरण की धीमी गति तथा महिलाओं की श्रम शक्ति में कम भागीदारी है।

6. विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में निम्नवत् है:

उत्पाद	उत्पादन में श्रेणी	देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत	प्रसंस्करण में श्रेणी
गेहूं	1	34	3
धान	2	12	6
गन्ना	1	41.28	2
आम	1	24.06	6
आलू	1	32.35	6
दूध	1	16.06	4
मटर	1	49	4
मछली	3	5.06	>10

गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरुद, मटर, मशरूम, तरबूज, मांस और शहद के उत्पादन में राज्य देश में नंबर एक स्थान पर है, लेकिन प्रसंस्करण में गति बढ़ाने की आवश्यकता है।

7. प्रदेश में प्रसंस्करण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु निम्नवत् हैं :

- उत्तर प्रदेश में बासमती चावल का 24% रकबा है यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में 4.6 लाख हेक्टेयर पर बासमती की खेती होती है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह हरियाणा और पंजाब के बाद तीसरे स्थान पर है। पिछले साल निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी केवल 50,000 मीट्रिक टन थी जबकि हरियाणा में यह 8.4 लाख मीट्रिक टन (17 गुना) और पंजाब में 1.9 लाख मीट्रिक टन (4 गुना) थी।
- गैर बासमती चावल में उत्तर प्रदेश का उत्पादन आंध्र प्रदेश से दोगुना है लेकिन आंध्र प्रदेश से गैर बासमती चावल का निर्यात 18 गुना अधिक है। उत्तर प्रदेश से गैर बासमती का निर्यात 3.78 लाख मीट्रिक टन था, जबकि यह वर्ष 2021 में आन्ध्रप्रदेश से 68.57 लाख मीट्रिक टन था।
- इसी प्रकार देश में 37 मिलियन मीट्रिक टन (देश के उत्पादन का 34%) गेहूं का शीर्ष उत्पादक होने के बावजूद, निर्यात में हिस्सा केवल 1.46 लाख मीट्रिक टन (0.4%) था, जबकि पिछले साल में गुजरात से निर्यात 37.93 लाख मीट्रिक टन (26 गुना अधिक) हुआ था।
- उत्तर प्रदेश, देश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, (2200 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन, जो कि महाराष्ट्र के 693 लाख मीट्रिक टन से तीन गुना अधिक है) लेकिन चीनी उत्पादन लगभग समान है यानी 106 लाख मीट्रिक टन। उत्तर प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्टों के साथ एथनॉल उत्पादन की स्थापित क्षमता 150 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है, यह महाराष्ट्र की 96 डिस्ट्रिक्टों में 128 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल 27 लाख हेक्टेयर है और उत्पादकता देश में सबसे ज्यादा अर्थात् 81 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है।
- उत्तर प्रदेश में मांस उत्पादन (गोवंश को छोड़कर) 11.66 लाख मीट्रिक टन (देश का 14%) है, जिसमें 6.41 लाख मीट्रिक टन भैंस, 3.54 लाख मीट्रिक टन मुर्गी और 1.71 लाख मीट्रिक टन अन्य के साथ अग्रणी है। जबकि महाराष्ट्र में 11.4 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पादन है, जिसमें 2.25 लाख मीट्रिक टन भैंस, 7.24 लाख मीट्रिक टन मुर्गी और 1.91 लाख मीट्रिक टन अन्य के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 6.04 लाख मीट्रिक टन के निर्यात के साथ निर्यातक के रूप में शीर्ष (देश का 10%) पर महाराष्ट्र 3.07 लाख मीट्रिक टन के निर्यात के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रति किलो निर्यात से प्राप्त होने वाला मूल्य उत्तर प्रदेश के लिए रु0 129 जबकि यह महाराष्ट्र के लिए रु0 401 प्रति किलो है और तमिलनाडु राज्य में यह रु0—255 प्रति किलो है।

- vi. कुक्कुट और अंडा उत्पादन: राज्य में उत्पादन और खपत में भारी अंतर है, जो उत्पादन में वृद्धि की अपार संभावनाएं प्रदान करता है।
 - vii. फलों और सब्जियों का खाद्य प्रसंस्करण: प्रदेश में इनका प्रसंस्करण और निर्यात बढ़ाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में देश के लगभग 15% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, लेकिन प्रसंस्कृत सब्जियों के निर्यात में भागेदारी केवल 5% है। इसी प्रकार फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश 11% की हिस्सेदारी के साथ देश में उत्पादन में तीसरे स्थान पर है लेकिन प्रसंस्कृत फलों के निर्यात में हिस्सेदारी मात्र 0.4% है।
 - 8. नीति का उददेश्य: राज्य में कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ाना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
 - 9. नोडल विभाग और नोडल एजेंसी: उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग होगा और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होगा।
 - 10. थर्ड पार्टी का पैनल तैयार करना (Third Party Empanelment): विभाग राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में अनुभव तथा पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों और कॉलेजों को सूचीबद्ध करेगा और नीति के तहत प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्ताव के मूल्यांकन, किये कार्यों का सत्यापन इन थर्ड पार्टी द्वारा करने के उपरान्त स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
 - 11. नीतिगत प्रोत्साहन:
- राजस्व विभाग से संबंधित मुद्दे:

(i) 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने हेतु अनुमति की आवश्यकता:

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (संशोधित) धारा 89 (1) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में 12.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि धारित नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध कृषि भूमि रखने पर है, जबकि कोई उद्योग खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि खरीदना चाहता है न कि कृषि कार्य के लिए। यह प्रावधान 12.5 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले भागों के खरीद को प्रोत्साहित करता है, क्रेता पहले इसे गैर—कृषि भूमि घोषित करवाता है और फिर आगे की खरीदारी करता है। उद्योग द्वारा आवेदन करने पर यह अनुमति 45 दिनों में संबंधित प्राधिकारी (20 हेक्टेयर तक के जिला मजिस्ट्रेट, 40 हेक्टेयर तक के मण्डलायुक्त और 40 हेक्टेयर से अधिक के लिए राज्य सरकार) द्वारा प्रदान की जाएगी। राजस्व विभाग की वर्तमान प्रक्रिया में खरीदे जाने वाले प्लॉट नंबरों का उल्लेख करने के लिए भी कहा जाता है, इस आवश्यकता को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि एक बार प्लॉट नंबरों का उल्लेख करते हुए खरीद की अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद, विक्रेता द्वारा भूमि की कीमत में अनुचित वृद्धि की संभावना रहती है। इस प्रक्रिया में ग्राम के नाम का उल्लेख पर्याप्त होगा, प्लाट का नम्बर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) गैर—कृषि उपयोग घोषणा के लिए शुल्क से छूट:

राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के अनुसार कृषि के उपयोग में न लाई जा रही भूमि को गैर कृषि उपयोग घोषित करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों की है, परन्तु यह प्रक्रिया वर्तमान में कठिन है और यह सर्कल रेट पर मूल्य का 2 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने के बाद किया जाता है। यह घोषणा 45 दिनों के भीतर (राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित अवधि) की जाए। उक्त

अवधि के उपरान्त Deemed परवाना अमल दरमाद जारी किया जाए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु, गैर कृषि उपयोग विषयक घोषणा के लिए मूल्य का 2% शुल्क माफ किया जाएगा।

(iii) परियोजना स्थल में आने वाली सरकारी भूमि की विनिमय (Exchange) :

यदि आरक्षित भूमि जैसे चक रोड आदि परियोजना भूमि के बीच में आती है तो परियोजना प्रस्तावक को इसके बदले में भूमि के बराबर भूमि देनी होती है और भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए सर्किल रेट पर आरक्षित भूमि के मूल्य का 25% धनराशि भी देना होता है। राजस्व विभाग द्वारा ऐसे सभी मामलों में तत्परता से कार्यवाही करते हुए त्वरित गति से उनका निस्तारण कराया जाएगा। सर्किल रेट के 25% धनराशि देने की आवश्यकता नहीं होगी।

आवास विभाग से संबंधित मुद्दे:

(iv) भूमि उपयोग का रूपांतरण (Conversion of Land Use):

यह उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 38-ए (1) और धारा 55 के साथ-साथ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2020 से आच्छादित हैं। कृषि क्षेत्र में प्रस्तावित उद्योग के आने की स्थिति में भूमि के मूल्य का 20 प्रतिशत सर्किल रेट के अनुसार वसूल कर सीएलयू (भूमि उपयोग का रूपांतरण) प्रदान किया जाता है। यह सीएलयू (भूमि उपयोग का रूपांतरण) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रति मामला (Case) 10000 रुपये के एक Notional शुल्क के साथ दिया जाना प्रस्तावित है। आवास विभाग के अभिमत के अनुसार कार्यवाही करते हुए भूमि उपयोग के रूपांतरण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 50% की छूट दी जायेगी।

(v) बाहरी विकास शुल्क (External Development Charges):

यह उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास (मूल्यांकन, लेवी और विकास शुल्क का संग्रह) (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 के तहत आच्छादित है। यह दर लखनऊ में जमीन के लिए 2040 रुपये प्रति वर्ग मीटर है जिसके अनुसार 81.60 लाख प्रति एकड़ का दर बनता है, जो कि ज्यादातर मामलों में भूमि के मूल्य से भी अधिक है। यदि प्रस्तावित उद्योग उत्तर प्रदेश में ऐसी भूमि पर आ रहा है जहाँ प्राधिकरण द्वारा कोई विकास कार्य सम्पादित नहीं किया गया है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए यह शुल्क 50,000 रु0 प्रति प्रतिकात्मक (Notional) होना चाहिए। आवास विभाग के सहमति के अनुसार बाहरी विकास शुल्क की दरों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 75% की छूट दी जायेगी।

(vi) स्टाम्प शुल्क से छूट:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए खरीदी गई भूमि को स्टाम्प शुल्क भुगतान से छूट दी जाएगी। इसकी प्रतिपूर्ति खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट के माध्यम से दी जाएगी।

(vii) प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाई गई कृषि उपज पर मंडी शुल्क और उपकर से छूट:

उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाए गए कृषि उत्पाद राज्य में प्रसंस्करण को बढ़ावा देंगे, जिससे मूल्यवर्धन होगा तथा अतिरिक्त रोजगार सृजित होने के साथ-साथ अतिरिक्त राजस्व कर के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाए गए कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क और सेस से छूट दी जाए। कृषि विपणन विभाग के अभिमत के

अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाए गए कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क और सेस से छूट होगी।

(viii) प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मंडी शुल्क और उपकर से छूट:

प्रसंस्करण उद्योग को सीधे अपनी उपज बेचने वाले किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी इसलिये ऐसी उपज को मंडी शुल्क और उपकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, बिहार, झारखण्ड, गोवा और महाराष्ट्र में प्रसंस्करण इकाइयों को ऐसी खरीद पर मंडी शुल्क से छूट दी गई है, इसलिए उनकी प्रसंस्करण इकाइयां प्रतिस्पर्धात्मक (Competitive) लाभ में हैं। इस छूट से उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण इकाइयों को बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। प्रसंस्करण इकाइयों को कृषकों द्वारा अपना उत्पाद सीधे भेजे जाने पर मण्डी शुल्क व सेस से छूट प्राप्त होगी। मंडी समिति की आय में इसके फलस्वरूप होने वाली कमी को खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट से दिया जायेगा।

(ix) किसी क्षेत्र को रोग मुक्त प्रमाणित/घोषित करने के लिए उदाहरणतः Durum गेहूं-बुंदेलखण्ड और आलू-आगरा-कन्नौज के विषय पर अध्ययन को प्रायोजित करना—

राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आयात करने वाले देशों के सख्त स्वच्छता और फाइटो-सैनिटरी (एसपीएस) Certification की आवश्यकताएं होती हैं। आगरा-कन्नौज जैसे प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों को (Blight) मुक्त और इसी तरह बुंदेलखण्ड के Durum गेहूं क्षेत्र को करनाल बंट मुक्त (Karnal Bunt) के रूप में प्रमाणित करने से उनके निर्यात की संभावना में सुधार होगा। प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया से इन क्षेत्रों में इन फसलों की खेती में अपनाई जा रही परम्परागत प्रथा में भी बढ़ोत्तरी होगी। राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सक्षम होगी।

(x) प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्योग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और वे औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर हैं। ऐसी इकाइयों स्वतंत्र विद्युत औद्योगिक फीडरों की लागत वहन करने की स्थिति में भी नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति समय और गुणवत्ता पूर्ण नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अवस्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 75 के0वी0ए0 तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव है। सब्सिडी सौर ऊर्जा परियोजना की लागत का 50% होगी और यह महिलाओं के स्वामित्व और संचालन वाली खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए 90% होगी।

(xi) निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी:

उत्तर प्रदेश राज्य Land Locked है, इसलिए प्रदेश में प्रसंस्करण उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए निर्यात पर परिवहन की वास्तविक लागत के 25% की परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। परिवहन की यह लागत उत्तर प्रदेश में विनिर्माण/उत्पादन के स्थान से आयातक देश के वास्तविक गंतव्य बंदरगाह तक होगी। यह सब्सिडी नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

(xii) पूंजीगत सब्सिडी:

अ. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम सीमा 5 करोड़ तक प्रदान की जाएगी।

ब. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण/उन्नयन के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय के 35% की पूंजी सब्सिडी अधिकतम सीमा 1 करोड़ तक प्रदान की जाएगी।

(xiii) मूल्यवर्धन और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना: इससे फसल के उत्पादन के बाद के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।

(अ) कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (भंडारण, पैक हाउस, प्री-कूलिंग यूनिट, राईपनिंग चैंबर्स, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर) का 35% और फ्रोजन स्टोरेज/डीप फ्रीजर, मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे के लिए तथा विकिरण के लिए परियोजना लागत के 50% की दर से अधिकतम अनुदान 10 करोड़ मुहैया कराए जाएंगे।

(ब) कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा – उत्पादन क्षेत्रों के करीब खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, उत्पादकों/किसानों के समूह को प्रोसेसर और बाजार से जोड़कर प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाना। इस मद में न्यूनतम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश रु 25 करोड़ करना होगा, पात्र परियोजना लागत का 35% अधिकतम रु 10 करोड़ अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

(xiv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाने की योजना:

खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण महत्वपूर्ण है। यह फार्म गेट पर प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रह केंद्र, वितरण केंद्र और खुदरा आउटलेट की स्थापना के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें संरक्षण सुविधाएं भी शामिल होंगी। फार्म स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधा में वजन, सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कूलिंग, नियंत्रित वातावरण/संशोधित वातावरण, कोल्ड स्टोरेज, ड्राई वेयरहाउस, मोबाइल प्री कूलिंग ट्रक और रेफर ट्रक और आईक्यूएफ की सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। भंडारण और कोल्ड चेन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अभिन्न अंग है। पात्र परियोजना लागत का 35% अधिकतम रु. 5 करोड़ तक अनुदान अनुमन्य होगा।

(xv) रीफर वाहनों और मोबाइल प्री-कूलिंग वैन की खरीद के लिए ब्याज सब्सिडी:

रीफर व्हीकल और मोबाइल प्री-कूलिंग वैन की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर अर्जित सभी ब्याज के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता की प्रतिपूर्ति पांच साल की अवधि के लिए की जाएगी, इसकी अधिकतम सीमा रु 50 लाख होगी।

(xvi) मंडी शुल्क और उपकर के भुगतान के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक बाजार क्षेत्र माना जाएगा तथा प्रदेश के किसी भी मण्डी का लाइसेंसधारी पूरे प्रदेश में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

(xvii) आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:

कृषि मूल्य श्रृंखला विकास, आच्छादन/उत्पादन/उत्पादकता के आकलन और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए स्टार्ट-अप के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त कार्य चयनित स्टार्ट अप/प्रतिष्ठित संगठनों के साथ किए जा सकते हैं। प्रत्येक परियोजना ₹0 5 करोड़ की अधिकतम सीमा की हो सकती है।

(xviii) विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा देना:

सूक्ष्म भंडारण को बढ़ावा देने सहित विकेन्द्रीकृत खरीद, प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह/एफपीओ/कृषक अपनी परियोजनाओं के आधार पर अनुदान के रूप में सहायता के लिए पात्र होंगे। अनुदान परियोजना लागत की 50% या अधिकतम ₹0 50 लाख होगी।

उपरोक्त सहायता/अनुदान खाद्य प्रसंस्करण विभाग के बजट से दिया जायेगा और यह दो समान किश्तों में एक कार्यान्वयन/निवेश के दौरान और दूसरा इकाई के संचालन होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(xix) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2023 के प्रस्तर-11 (xiii) एवं (xiv) में उल्लिखित योजनाओं के लिए पात्रता प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार होगी। पूंजीगत अनुदान की दर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत प्रस्तावित किया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं में पूंजीगत अनुदान 35 प्रतिशत ही है। अतः इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में एकरूपता रहेगी। अनुदान सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि इससे बड़ी एवं मार्डन इकाईयों को आकर्षित किया जा सकेगा। प्रदेश में एक बड़ी एवं मार्डन फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना से पूरे क्लस्टर में फूड प्रोसेसिंग के कार्यों को बढ़ावा मिलता है। उक्त के अतिरिक्त छोटी परियोजनाओं के लिए ₹. 10 लाख तक का अनुदान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में अनुमन्य है और प्रदेश का लक्ष्य 46,000 इकाईयों का है। अतः छोटी इकाईयों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित किया जाएगा। प्रस्तर-11 (xiii) एवं प्रस्तर-11 (xiv) के प्राविधान प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तर्ज पर है इससे प्रदेश में कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजेस की स्थापना में मदद मिलेगी। इस तरह की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा एवं क्षेत्रीय स्तर पर फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के विकास में मदद होगी।

12. कम्प्लायंश रेजिम:

अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों सूक्ष्म और लघु इकाईयों हैं, जिन्हें वर्ष भर विभिन्न विभागों द्वारा बार-बार और अधोषित निरीक्षण का सामना करना मुश्किल होता है। इसलिए अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, जोखिम आधारित निरीक्षण की एक प्रक्रिया विकसित की जाएगी। संबंधित विभाग जैसे श्रम, भूजल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एफएसएसएआई, बाट और माप आदि विभाग द्वारा विभिन्न इकाईयों के निरीक्षण की अपनी वार्षिक योजना माह की तारीख या सप्ताह के साथ इस नीति के तहत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत करेंगे। उस बैठक में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे, जिसमें उस विभाग के निरीक्षण की वार्षिक योजना प्रस्तुत की जाती है। इस समिति के सहमति के अनुसार ही इकाईयों का निरीक्षण किया जा सकेगा। इससे निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा तथा अनुपालन की स्थिति में पारदर्शिता आएगी।

13. कार्यान्वयन तंत्र:

- (क) कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले उद्योग संगठनों और अन्य विशेषज्ञों/अग्रणी किसानों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
- (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण के अधीन वित्त एवं विधि विभाग के सदस्यों के साथ राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग के सदस्य होंगे। समिति आवश्यकतानुसार डोमेन विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समिति के सदस्य सचिव होंगे।
14. (15—(xvii)) फूड प्रोसेसिंग इकाईयों द्वारा सीधे क्रय किए जाने वाले खाद्यान्न/उत्पाद पर मण्डी टैक्स व सेस से छूट दिए जाने की दशा में तथा प्रदेश के किसी भी एक मण्डी द्वारा निर्गत लाईसेंस के आधार पर पूरे प्रदेश में कार्य/कारोबार करने की इजाजत होने से कृषकों के उपज के लिए नए खरीददार बढ़ेगे और उनके उत्पादित मूल्यों में बढ़ोत्तरी होगी साथ ही प्रदेश में प्रसंस्करण उद्योग को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा कृषकों से सीधे कृषि उत्पाद क्रय किये जाने पर मंडी शुल्क व सेस देय नहीं होगी तथा मण्डी परिषद को हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आय व्ययक के माध्यम से की जाएगी।